संख्या– /X–2–2018–12(54)2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक(HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 16 जुलाई, 2018**

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य सेक्टर योजना "वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण" हेतु स्वीकृत आय–व्यय के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र सं0 नि0–2483/3–5(आवा0/अना0) दिनांक 11.06.2018 एवं पत्र सं0 नि0–2123/3–5 (आवा0/अना0) दिनांक 11.06.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना **"वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण"** के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार ₹50.00 लाख (₹पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–27 (धनराशि हजार ₹में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
1	4
4406–वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01–वानिकी 101–वन संरक्षण और विकास 04–वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500
25–लघु निर्माण कार्य	2000
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	500
29–अनुरक्षण	2000
योग	**5000**

(₹पचास लाख मात्र)

1. मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो अर्थात इस धनराशि से ₹5.00 लाख तक की ही लागत के निर्माण कार्य कराये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षो के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय। मानक मद 29–अनुरक्षण में मात्र अनुरक्षण कार्य ही सम्पादित किये जाए।
2. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के सं0–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दि0 02.04.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
4. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/ प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
8. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
9. योजनान्तर्गत शासन के पत्र दिनांक 10.05.2018 द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में पूर्ण सूचना क्रमशः प्रस्तावित कार्ययोजना/भौतिक वित्तीय लक्ष्य् एवं अवशेष देयता तथा विगत वित्तीय वर्षों में जिन–जिन आवासीय एवं अनावासीय भवनों पर वन विभाग द्वारा व्यय किया गया है की पूर्ण सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर शासन स्तर पर विचार किया जाएगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1807270138 दिनांक 12/07/2018 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दि0 02.04.2018 के सन्दर्भ में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या– १५१५ /X–2–2018–12(54)2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **1474/X-2-2018-12(54)2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1807270138**

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -12-Jul-2018

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक** 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय — 01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और विकास

04 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण

00 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	500000	500000
25 - लघ् निर्माण कार्य	0	2000000	2000000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	500000	500000
29 - अनुरक्षण	0	2000000	2000000
	0	**5000000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000